संख्या-17/2023/I/357517/38-4099-99-42-2023

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2023

विषयः-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालन, अनुश्रवण एवं धनराशि के अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से एस0एन0ए0 व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-121/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2023-24, दिनांक-24 मई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालन, अनुश्रवण एवं धनराशि का अन्तरण सुगमता पूर्वक किये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु पूर्व की भांति पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से एस.एन.ए. व्यवस्था बनाये रखने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123(विविध)/2017 टी0सी0-I, दिनांक 28 जून, 2019 के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन निम्नानुसार किये जाने की व्यवस्था की गयी थी-

वित्तीय प्रबन्धनः-

शासन स्तर से अवमुक्ति

⇓

आयुक्त के निवर्तन पर

⇓

राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता मुख्यालय स्तर पर खोला जायेगा।

⇓

खाते को पी0 एफ0 एम0 एस0 से लिंक कर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर पी0 एफ0 एम0 एस0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण के लिए प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार होंगे तथा दूसरे हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 28 जून, 2019 में विहित वित्तीय प्रबन्धन की उपर्युक्त व्यवस्था को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
एस0पी0 उपाध्याय,
विशेष सचिव।

संख्या-17/2023/1/357517(1)/38-4099-99-42-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2
(11) गार्ड बुक।

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।